मुकेश कुमार

बनाम

भारत संघ व अन्य

5 सितम्बर, 2007.

(डॉ. अरिजित पसायत एवं डी. के. जैन, जे. जे.)

सेवा विधि :

अनुकम्पात्मक नियुक्ति- कर्मचारी ने चिकित्सीय आधार पर सेवानिवृत्ति ली, तब उसका पुत्र नाबालिग था-पुत्र ने वयस्क होने और न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने के बाद, अनुकम्पात्मक नियुक्ति के लिए आवेदन किया- प्राधिकारी द्वारा आवेदन खारिज किया गया-अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अपील अभिपुष्ट की गयी-केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा ओ.ए.*(Original Application)* खारिज की गयी- जिसे चुनौती दी गयी-उच्च न्यायालय से भी खारिज -अपील में अभिनिर्धारित हुआः ऐसी कोई सामग्री नहीं, जिसके आाधार पर प्राधिकारियों ने यह कहते हुए आवेदक के नियुक्ति आवेदन को खारिज कर दिया कि आवेदक का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर व दयनीय हालत में नहीं था-दोनों ही निचले न्यायालयों ने याचिका को खारिज करने में तथ्यात्मक रूप से त्रुटि की है। इस प्रकार निचले न्यायालयों के आदेशों को अपास्त किया जाकर मामले

को नये सिरे से अधिनिर्णय के लिए केट को प्रेषित किया गया- निर्देश जारी किये।

अपीलार्थी के पिता ने, जोडाक एवं तार कार्यालय में कार्यरत थे, चिकित्सीय आधार पर रिटायरमेन्ट ले लिया, उस समय अपीलार्थी एक अवयस्क था। अपीलार्थी ने सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा उतीर्ण करने के उपरान्त अनुकम्पात्मक नियुक्ति चाहने का आवेदन दायर किया।जिस आवेदन को डाकघर के महाडाकपाल ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि आवेदक का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर व दयनीय हालत में नही पाया गया। जिससे व्यथित होकर, अपीलार्थी ने महानिदेशक, डाकघर के समक्ष अपील पेश की, वो भी खारिज हुई। अपीलार्थी ने फिर केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष ओ.ए. पेश की, जिसे केट ने प्रार्थना पत्र पेश करने में हुए पन्द्रह वर्ष के असाधारण विलम्ब के आधार पर नामंजूर कर दिया। केट के आदेश की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए अपीलार्थी ने रिट-याचिका पेश की, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी।इस प्रकार वर्तमान अपील पेश हुई।

अपीलार्थी ने प्रतिवाद कर तर्क दिया कि केट एवं उच्च न्यायालय, दोनों ने तथ्यात्मक रूप से गलत आधार पर कार्यवाही की है।जबकि उसने उच्च माध्यमिक परीक्षा पास करते ही तत्काल अनुकम्पात्मक आधार पर लिपिक के पद हेतु आवेदन पेश कर दिया था।

दूसरी ओर प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अनुकम्पात्मक नियुक्ति के लिए अत्यावश्यक वित्तीय आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है।जैसा कि अपीलार्थी ने अपने पिता के रिटायरमेन्ट के बाद भी अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखी इसलिए यही माना जाएगा कि उसका परिवार निर्धन हालत में नही था।

अपील मन्जूर करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि :

अपीलार्थी के अनुकम्पात्मक नियुक्ति के आवेदन को मात्र इस आधार पर नामन्जूर कर दिया गया कि अपीलार्थी के परिवार की आर्थिक स्थिति खराब नहीं पायी गयी। लेकिन प्राधिकरण ने जिस आधार पर उक्त निष्कर्ष निकाला, वह आधार दर्शाने वाली सामग्री दर्शित नहीं होती है।ऐसा भी स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले वृत स्तरीय चयन समिति के समक्ष ऐसी कौन सी सामग्री रखी, जिससे यह निष्कर्ष निकाला कि परिवार आर्थिक रूप से दयनीय हालत में नही था।इसे जोड़ने में केट और उच्च न्यायालय, दोनों ने तथ्यात्मक त्रूटि की है, जिस ओर अपीलार्थी ने विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया और जिसे इस न्यायालय ने भी नोट किया है। केट तथा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को अपास्त किया जाता है और मामले को नये सिरे से सुनवाई के लिए केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण को प्रेषित किया जाता है। **(714-**ए, बी, सी**)**

दीवानी अपीलीय अधिकारिता: दीवानी अपील नम्बर 4058/2007

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ, के सिविल रिट याचिका नम्बर 20292/2004 में पारित अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक 18.03.2005 से।

अपीलार्थी की ओर से श्री प्रदीप गुप्ता तथा के. के. मोहन।

प्रत्यर्थी की ओर से श्री मोहित चौधरी, रजनी ओहरी, वी. के. वर्मा, मनीष जैन और पूजा शर्मा।

न्यायालय का निर्णय, इनके द्वारा दिया गया-

डॉ. अरिजित पसायत, जे.-

1. अनुमति दी गयी।

2. इस अपील में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को खारिज करने वाले दिनांक **18.3.2005** के आदेश को चुनौती दी गई है। उक्त रिट याचिका के माध्यम से, अपीलकर्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ बेंच (इसके बाद 'केट' के रूप में संदर्भित) द्वारा उसके मूल आवेदन (संक्षेप में 'ओ.ए.') को खारिज करने के पारित आदेश की शुद्धता को चुनौती दी थी।

3. पृष्ठभूमि वाले मुख्य तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं: अपीलकर्ता के पिता चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हुए और अमान्य पेंशन प्राप्त कर रहे थे। प्रासंगिक समय पर, अपीलकर्ता नाबालिग था और स्कूल में पढ़ रहा था।

वहमार्च, **1997** मेंआयोजितपंजाबस्कूलशिक्षाबोर्डसीनियरसेकेंडरी **(12** वींकक्षा**)** परीक्षामेंउपस्थित हुआ। परीक्षा का परिणाम **19** मई, **1998** को घोषित किया गया। इसके बाद, अपीलकर्ता ने क्लर्क के पद के लिए एक आवेदन दायर किया। उसकी जन्मतिथि **12** जून, **1980** है। आवेदन **20** जुलाई, **1998** को किया गया था। आवेदन को पोस्ट मास्टर जनरल, पंजाब क्षेत्र, चंडीगढ़ द्वारा **18.10.1999** के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। आवेदन केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि ''परिवार आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में नहीं पाया गया।''

4. महानिदेशक, डाकघर, नई दिल्ली के समक्ष एक अपील दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता के पिता को प्रतिमाह **1783/-** रुपये मिलते थे, लकवे के हमले के कारण **11** साल से अधिक समय से बिस्तर पर थे और अपीलकर्ता के पास देश में कहीं भी कोई चल और अचल संपत्ति नहीं थी और वह कहीं भी कार्यरत नहीं था।अपील खारिज कर दी गई। अपीलकर्ता ने ओ. ए. दाखिल कर के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का रुख किया, जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि आवेदन दाखिल करने में **15** साल की अत्यधिक देरी हुई थी।जैसा कि ऊपर बताया गया है, उक्त आदेश की सत्यता पर सवाल उठाने वाली रिट याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

5. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि केट और उच्च न्यायालय दोनों तथ्यात्मक रूप से गलत आधार पर आगे बढ़े।केट ने इस आधार पर कार्यवाही की जैसे कि पिता **1988** में लकवे से पीड़ित होने के कारण चिकित्सकीय रूप से अयोग्य हो गए थे और **1988** में सेवानिवृत्त हो गए थे। वास्तव में और निर्विवाद रूप से, पिता **1994** में सेवानिवृत्त हुए थे। अपीलकर्ता द्वारा किया गया आवेदन **1999** में खारिज कर दिया गया था और अपील खारिज कर दी गई थी आदेश दिनांक **17** फरवरी, **2000** द्वारा। अतः **15** वर्ष की देरी का प्रश्न ही नहीं उठता। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की जैसे कि अपीलकर्ता के पिता की मृत्यु **1994** में हुई थी और अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावा लगभग दस वर्षों के बाद पहली बार उठाया गया था। दरअसल पिता की मृत्यु नहीं हुई थी और वह रिटायर हो चुके थे और करीब दस साल बाद भी आवेदन नहीं किया गया था। दरअसल, सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के तुरंत बाद आवेदन क्लर्क के पद के लिए किया गया था क्योंकि न्यूनतम योग्यता सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करना थी, जो वर्ष **1997** में आयोजित की गई थी और परिणाम मई, **1998** में घोषित किया गया था। इसके तुरंत बाद आवेदन किया गया था। संक्षेप में, यह निवेदन किया गया कि केट और उच्च न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड दर्ज किए गए निष्कर्ष टिकाऊ नहीं हैं।

6. जवाब में, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने निवेदन किया कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए तत्काल वित्तीय जरूरतों पर विचार किया जाता है।चूंकि अपीलकर्ता ने अपने पिता की सेवानिवृत्ति के बाद पढ़ाई निरन्तर जारी रख रखी थी, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि परिवार गरीब स्थिति में नहीं था। गौरतलब है कि अपीलार्थी का आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि परिवार आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में नहीं पाया गया था।

7. इस बात का कोई संकेत नहीं है कि निष्कर्ष किस सामग्री के आधार पर निकाला गया।यह भी स्पष्ट नहीं है कि सर्कल स्तरीय चयन समिति के समक्ष यह निष्कर्ष निकालने के लिए क्या सामग्री थी कि परिवार आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में नहीं था। इसे जोड़ने के लिए, केट और उच्च न्यायालय दोनों तथ्यात्मक रूप से गलत आधार पर आगे बढ़े, जैसाकि अपीलकर्ता और उपर लिखित नोट द्वारा उजागर किया गया है।स्थिति से ऊपर होने के कारण, अपील स्वीकार करने योग्य है, जैसाकि हम निर्देशित करते हैं।केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के आदेशों को खारिज किया जाता है।मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ को भेज दिया गया है।पक्षकारों को अपने-अपने पक्ष के समर्थन में सामग्री रखने की अनुमति होगी।

8. तद्नुसार खर्चे के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील स्वीकार की जाती है।

एस.के.एस.

अपील मंजूर।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी संजय मालवीय (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।